


भारत सरकार  
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय  
(सीसीडी अनुभाग)

विषय - केंद्रीय कुष्ठ रोग प्रशिक्षण और अनुसधान संस्थान (आरएलटीआरआई), आस्का, में डाटा ऐन्ट्री आपरेटर के पद के लिए भर्ती नियमों में संशोधन पर सार्वजनिक नोटिस के संबंध में।

कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 13.10.2015 के का.जा.सं एबी. 14017/61/2008-स्था.(आरआर) के अनुपालन में, केंद्रीय कुष्ठ रोग प्रशिक्षण और अनुसधान संस्थान (आरएलटीआरआई), आस्का में डाटा ऐन्ट्री आपरेटर के पद के लिए भर्ती नियमों का मसौदा संलग्न है।

2. भर्ती नियमों के मसौदे पर कोई आपत्तियाँ/टिप्पणियाँ या सुझाव देने वाले इच्छुक हितधारक मसौदा भर्ती नियमों के प्रकाशन की तारिख से 30 दिनों की अवधि के भीतर लिखित रूप में अपनी आपत्तियाँ/टिप्पणियाँ या सुझाव, श्री अम्बा दत्त बवाड़ी, अवर सचिव, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, कमरा सं. 753-क, निर्माण भवन, मौलाना आजाद रोड, नई दिल्ली-110008 या ई-मेल पर भेज सकते हैं।



(अम्बा दत्त बवाड़ी)  
अवर सचिव, भारत सरकार  
दूरभाष 23061510

नई दिल्ली  
दिनांक

भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 11, खंड 3, उप-खंड (1) में प्रकाशनार्थ  
भारत सरकार  
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय  
अधिसूचना

नई दिल्ली, ..... 2019

सा.का.नि. .... राष्ट्रपति संवाधान के अनुच्छेद 309 के परतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और क्षेत्रीय कुष्ठ रोग प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान, आसका, ओडिशा में डाटा एंट्री ऑपरेटर (ग्रेड ए) समूह 'ग' पद भर्ती नियम, 2002 के अधिक्रमण से पहले किए गए या लोप किए गए संवर्ग को छोड़कर, एतदद्वारा क्षेत्रीय कुष्ठ रोग प्रशिक्षण और अनुसंधान, आसका ओडिशा में फार्मासिस्ट के पद पर भर्ती कि पद्ति को विनियमित करने वाले निम्नलिखित नियम बनाते हैं, नामतः

3. लघु शीर्षक और प्रारम्भ- (1) इन नियमों को क्षेत्रीय कुष्ठ रोग प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान, आसका, ओडिशा डाटा एंट्री ऑपरेटर (ग्रेड ए), समूह 'ख' पद भर्ती नियम, 2019 कहा जाएगा।

(4) ये सरकारी राजपत्र में प्रकाशित होने की तारिख से प्रभावी होंगे।

2. पदों कि संख्या, वर्गीकरण, वेतन मैट्रिक्स में स्तर या वेतनमान- उक्त पद की संख्या, इसका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में ये स्तर या वेतनमान वहीं होंगे जो इन नियम के साथ संलग्न अनुसूची के स्तंभ(2) से (4) में विनिर्दिष्ट किए जाएंगे।

3. भर्ती कि पद्ति, आयु-सीमा, अर्हता, आदि- भर्ती कि पद्ति, आयु-सीमा, अर्हता और अन्य मामले उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से (13) में विनिर्दिष्ट किए जाएंगे।

4. अनर्हता-कोई व्यक्ति

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह के लिए अनुबंध किया है जिसका पहले से कोई जीवित पति/पत्नी है, या

(ख) जिसने अपने पति/पत्नी के जीवित रहते किसी व्यक्ति के साथ विवाह या विवाह के लिए अनुबंध किया है, उक्त पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा;

बशर्ते कि केंद्र सरकार संतुष्ट हो जाती है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के दूसरे पक्ष पर लागू व्यक्तिगत कानून के अन्य आधार हैं, तो केंद्र सरकार इस नियम के प्रचालन से किसी व्यक्ति को छूट दे सकती है।

5. शिथिल करने का अधिकार-जहां केंद्र सरकार का यह मत है कि ऐसा करना आवश्यक या समयोचित है, तो वह आदेश द्वारा किसी भी वर्ग या श्रेणी के व्यक्तियों के संबंध में इन नियमों के किसी उपबंध को शिथिल कर सकती है, जिसके करणों को लिखित में अभिलेखित किया जाएगा।

6. बचत इन नियमों में ऐसा कुछ नहीं होगा जिससे अनुसूचित जनजातियों, अनुसूचित जातियों, अन्य पिछड़ा वर्ग, भूतपूर्व सैनिकों या इस संबंध में केंद्र सरकार द्वारा जारी आदेशों के अनुसार व्यक्तियों कि कोई अन्य विशेष श्रेणियों के लिए आरक्षण, आयु सीमा में छूट और अपेक्षित अन्य रियायतें प्रभावित हो।

## अनुसूची

पद का नाम (1)	पद संख्या (2)	वर्गीकरण (3)	वेतन मैट्रिक्स में लेवल (4)	चयन या अचयन पद (5)	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा (6)
डाटा एंट्री ऑपरेटर (ग्रेड ए)  *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकती है।	एक पद * (2019)	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग' अराजपत्रित अननुसंचिवीय	स्तर-4 (रु. 25500 से 81100)	लागू नहीं	18 से 27 वर्ष के बीच(केंद्र सरकार द्वारा जारी अनुदेशों और आदेशों के अनुसार सामान्य विभागीय कर्मचारी के मामले में उच्चतम आयु सीमा में 40 वर्ष तक एवं अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लिए 45 वर्ष तक ढील दी जा सकती है)

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी	परिवीक्षा कि अवधि यदि कोई हो	भर्ती कि पद्ति भर्ती सीधे होगी या पोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्तिय आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्तियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों कि प्रतिशतता
(7) 1 किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से विज्ञान में 12 वी पास गणित के विषय के रूप में	(8) लागू नहीं	(9) दो वर्ष	(10) 100% सीधे भर्ती के द्वारा

2. डाटा एंट्री के काम के लिए कम्प्युटर पर स्पीड टेस्ट 15000 कुंजी प्रति घंटा की स्पीड से टेस्ट			
प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती कि दिशा में वे श्रेणियाँ जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा	
(11)	(12)	(13)	
लागू नहीं	<p>समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति जिसमें निम्नलिखित होंगे:-</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. निदेशक-आरएलटीआरआई आसका - अध्यक्ष</li> <li>2. उप निदेशक, आरएलटीआरआई आसका - सदस्य</li> <li>3. चिकित्सा अधिकारी आरएलटीआरआई, आसका-सदस्य</li> <li>4. क्षेत्र में दूसरे केंद्र/राज्य के राजपत्रित अधिकारी -सदस्य</li> </ol>	लागू नहीं	